

an>

Title: Regarding bogus chit fund companies.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, गत कुछ दिनों में चिट फण्ड के और कुछ घोटाले बाहर आए हैं। पश्चिम बंगाल की शेज़वेली में 22 हजार छोटे निवेशकों के पैसे फंस गए हैं। मैं आपके द्वारा एक बिंदु यह उपस्थित करना चाहता हूँ कि जिन मामलों में छोटे निवेशक कोर्ट में गए, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, जिसमें डेढ़ दर्जन पोलीटिशियन दोषी पाए गए। उनमें से कुछ लोग निरपत्ता किए गए। वहां की राज्य सरकार, चूंकि ये डेढ़ दर्जन लोग एक विशेष राजनीतिक पार्टी से सम्बन्धित हैं,...(व्यवधान) इसलिए वहां की राज्य सरकार इस जांच में सहयोग नहीं कर रही है...(व्यवधान) मैं आपको स्पेशल उदाहरण देना चाहता हूँ कि शारदा चिट फण्ड घोटाले की केन्द्र की जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है...(व्यवधान), पश्चिम बंगाल की सरकार उसमें हर्डल्स किएट कर रही है...(व्यवधान) यह जांच होने नहीं दे रही है...(व्यवधान) साढ़े तीन लाख छोटे निवेशकों के पैसे वापस मिल सकते हैं...(व्यवधान) लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार उसमें अनेक प्रकार के...(व्यवधान) इसलिए मैं आपके द्वारा अनुरोध करना चाहता हूँ कि शारदा चिट फण्ड घोटाले में सीबीआई को पश्चिम बंगाल की पुलिस...(व्यवधान) पश्चिम बंगाल की सरकार...(व्यवधान) पूरी तरह से सहयोग करे, इस प्रकार का निर्देश दें...(व्यवधान)

श्री पी.पी. चौधरी(पाली) : महोदया, मैं अपने आपको डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.55 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till

Fourteen of the Clock.